


तारीख
हुक्म

18/12/19

वकील वारी अपण वकील वारी को प्रतिवादीगण की तमबी रजिस्टर्ड डाक एडी तमबाना पेश करने हेतु दि० 03/11/17, 7/2/17, 6/9/17, 27/9/17 तथा 16/11/17 को आदेशित किया गया। लेकिन वकील वारी ने रजिस्टर्ड ए.डी. तमबाना पेश नहीं किये। वकील वारी को प्रतिवादीगण की तमबी हेतु तमबाना पेश करने हेतु दि० 6/4/18 को हिदायत दी गई। वकील वारी को प्रतिवादीगण की तमबी रजिस्टर्ड डाक ए.डी. तमबाना पेश करने हेतु दिनांक 28/11/19 को न्यायद्वित में एक अन्तिम अवसर दिया गया। लेकिन वकील वारी ने प्रतिवादीगण तमबी हेतु रजिस्टर्ड ए.डी. तमबाना पेश नहीं किये। वकील वारी को पिछले 3 वर्षों में तमबी हेतु तमबाना पेश करने हेतु अनेक अवसर दिये गये। लेकिन वकील वारी ने प्रतिवादीगण की तमबी हेतु तमबाना पेश नहीं किये। अतः दावा अन्तर्गत धारा 89 ROS जा०दी० के तहत वाद वारी अयम तकमील (NON-Compliance) में खारिज किया जाता है। पञ्चवकील नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)